पत्र संख्या:– जी0एस0टी0/पुनरीक्षण प्रक्रिया निर्धारण/फाईल नं0 आर–568/2021051/512 /वाणिज्य कर।

कार्यालय– कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।
(जी0एस0टी0 अनुभाग),
लखनऊ:: दिनाँक:: 25 जनवरी, 2021

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1,
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0/अपील),
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0/कारपोरेट सर्किल/टैक्स आडिट),

विषय:– मुख्यालय के परिपत्र संख्या– जी0एस0टी0/पुनरीक्षण प्रकिया निर्धारण/फाईल नं0 आर–568/794/वाणिज्य कर दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 का संशोधन।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या– जी0एस0टी0/पुनरीक्षण प्रकिया निर्धारण/फाईल नं0 आर–568/794/वाणिज्य कर दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 से मुख्यालय स्तर पर पुनरीक्षण के मामलों के रख–रखाव की निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी –

मुख्यालय स्तर पर पुनरीक्षण के मामलों के रख–रखाव की प्रक्रिया–

(i) फील्ड से प्राप्त पुनरीक्षण के सभी प्रस्तावों का रख–रखाव मुख्यालय स्थित विधि अनुभाग द्वारा किया जायेगा।

(ii) ज्वाइंट कमिश्नर (विधि) मुख्यालय द्वारा फील्ड से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण विधिक प्राविधानों के आलोक में करने के उपरान्त संक्षिप्त टिप्पणी अंकित करते हुए प्रकरण पुनरीक्षण प्राधिकारी (Revisional Authority) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(iii) विधि अनुभाग मुख्यालय में पुनरीक्षण हेतु विभिन्न जोन/केन्द्रीय कर प्रशासन/अन्य स्रोतो से पुनरीक्षण हेतु प्राप्त सभी मामलों का पूर्ण विवरण रखा जायेगा।

मूल परिपत्र संख्या– जी0एस0टी0/पुनरीक्षण प्रक्रिया निर्धारण/फाईल नं0 आर–568/794/वाणिज्य कर दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 के उक्त संदर्भित प्रस्तर में तत्काल प्रभाव से निम्न संशोधन किया जाता है–

"पुनरीक्षण के मामलों में पूर्व में विधि अनुभाग द्वारा किए जा रहे समस्त कार्यों का निष्पादन जी.एस.टी. अनुभाग, मुख्यालय द्वारा किया जाएगा तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर (विधि) को आवण्टित पुनरीक्षण से सम्बन्धित समस्त दायित्वों का निर्वहन ज्वाइन्ट कमिश्नर (जी.एस.टी.), मुख्यालय द्वारा किया जाएगा।"

मूल परिपत्र दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 के शेष अंश यथावत् रहेंगे।

कृपया तदनुरूप भविष्य में पुनरीक्षण के प्रस्ताव विधि अनुभाग, मुख्यालय के स्थान पर जी.एस.टी. अनुभाग, मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अमृता सोनी),
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या/एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि– निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ ।
2. ज्वाइंट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि, कृपया पुनरीक्षण के समस्त अवशेष प्रकरण जी.एस.टी. अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. ज्वाइंट कमिश्नर (स्थापना राजपत्रित), वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ।

(संजय कुमार पाठक),
ज्वाइंट कमिश्नर (जी.एस.टी.),
वणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।